

महानगर समाचार

संपादक - अशोक कुमार निगम
(एम.कॉम., एल.एल.बी)
कार्यकारी संपादक - आफताब खान

सा - ५
9201
25/11/19
m.l.h.u.m

9/10/19

Ref No.:

Date:

जोड़पत्र अ
केन्द्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005- कलम-3 के तहत अर्ज

प्रति

शासकीय माहिती अधिकारी
आस्थापना विभाग
मीरा-भायंदर महानगरपालिका
भायंदर (पश्चिम)
जिला-थाने



25/11/2019

1- अर्जदार का पूरा नाम -

अशोक कुमार निगम
कृष्णलीला ए- विंग को.हा.सो.लि.
रूम न.ए/104, प्रथम मंजिल, आशा नगर
भायंदर (पूर्व) थाने- 401105
मो.9324368120/9619196402

3- आवश्यक जानकारी का विषय-

मीरा-भायंदर महानगरपालिका के अन्दर सार्वजनिक
बांधकाम विभाग में तैनात कार्यकारी अभियंता दिपक
खाम्बित के 1994 से टेका पध्दति पर तैनाती से लेकर
वर्तमान समय तक के संन्दर्भ में।

(1) मांगी गयी जानकारी का विषय-

(1) मीरा-भायंदर महानगरपालिका के सार्वजनिक बांधकाम विभा
में वर्तमान समय में कार्यकारी अभियंता के पद पर तैनात दिपक
खाम्बित को 1994 में जब उन्हें टेका पध्दति पर तैनात किया
गया था तब से लेकर आज तक किन-किन पदों पर कितने-कितने

..2

महानगर समाचार

संपादक - अशोक कुमार निगम
(एम.कॉम., एल.एल.बी.)
कार्यकारी संपादक - आफताब खान

Ref No.:

Date:

समय तक उन्हें तैनात किया गया, उनका विवरण, दिपक खाम्बित को इन 24 वर्षों में कहां-कहां स्थानान्तरित किया गया और किस किस पद पर उसका विवरण। क्या सर्विस नियम के तहत एक ही व्यक्ति को पिछले 24 वर्षों से एक ही विभाग के अन्दर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकारी अभियंता दिपक खाम्बित के उपर इन 24 वर्षों में कब-कब किन-किन सार्वजनिक बांधकाम निर्माण के कार्यों के दौरान इनके उपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन पर क्या कार्रवाई की गयी। इनकी नियुक्ती के समय कितना वेतन था, और आज उनका वेतन कितना मनपा अदा कर रही है। क्या इनकी नियुक्ती के समय इन्होंने शपथ-पत्र दाखिल किया था जिसमें इनके चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा दिया था। उसका समस्त विस्तृत विवरण

(2) मांगी गयी जानकारी की कालावधि-

सार्वजनिक बांधकाम विभाग में दिपक खाम्बित के नियुक्ती से लेकर वर्तमान समय तक।

(3) मांगी गयी जानकारी का वर्णन-

सार्वजनिक बांधकाम विभाग में कार्यकारी अभियंता के पद पर तैनात दिपक खाम्बित के 1994 से वर्तमान समय तक पद पर रहने के संबंध में।

(4) अर्जदार द्वारा मांगी गयी जानकारी-

ब्यक्तिगत

(4) अर्जदार निर्धन आय वर्ग में आता है-

नही

(5) मांगा गयी जानकारी का प्रयोजन-

न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग करने हेतु।

स्थान: भायंदर (पश्चिम) भायंदर

दिनांक: 23/08/2018


अर्जदार का हस्ताक्षर



मिरा भाईंदर महानगरपालिका
स्व इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, छत्रपती शिवाजी
महाराज मार्ग, भाईंदर (प.), ता.जि. ठाणे, 401 101.



जा.क्र.मनपा/आस्था/मा.अ./ २४५/2018

दि. २७/८/2018

प्रति,

श्री. अशोक कुमार निगम,
कृष्णलीला ए-विंग को.हा.सो.लि.,
रुम रु.ए/104, प्रथम मंजिल, आशानगर,
भाईंदर (पूर्व), ठाणे-401 105.

- विषय :- केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मीरा-भायंदर महानगरपालिका के अन्दर सार्वजनिक बांधकाम विभाग मे तैनात कार्यकारी अभियंता दिपक खांबीत के 1994 से टेका पध्दती पर तैनाती से लेकर वर्तमान समय तक के संन्दर्भ में।
- संदर्भ :- आपला दि.23/08/2018 रोजीचा माहितीचा अधिकार अंतर्गत अर्ज.
(प्राप्त दि.24/08/2018)


महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय विषयांन्वये आपणास कळविण्यात येत की, केंद्र शासन माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत मीरा-भायंदर महानगरपालिका के अन्दर सार्वजनिक बांधकाम विभाग मे तैनात कार्यकारी अभियंता दिपक खांबीत के 1994 से टेका पध्दती पर तैनाती कीया गया था तब से लेकर आजतक किन किन पदोपर कितने समयतक उन्हे तैनात किया गया दिपक खांबीत उनको 24 साल मे कहा कहा स्थानातरीत किया गया किस पद पर स्थानातरीत किया गया उस समय मे उनके उनपर बांधकाम निर्माण के कार्योके दोरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये, उसके उपर क्या कारवाई की गयी, नियुक्तीके समय उपका कितना वेतन था, आज कितना वेतन है, नियुक्ती समय उन्होने शपत पत्र दाखल किया था उसमे चल अचल संपती के बारे मे जानकारी हासिल कियी जाय याबाबतची माहिती अपेक्षिलेली आहे. सदर माहिती खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे.

आपण अपेक्षिलेली श्री. दिपक खांबीत यांची ठेका पध्दतीने कनिष्ठ अभियंता पदाचा आदेश, मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवर कनिष्ठ अभियंता या पदाचा नियुक्ती आदेश, त्यांना देण्यात आलेल्या उप-अभियंता या पदाच्या नियुक्तीचा आदेश तसेच कार्यकारी अभियंता या पदाचा आदेश तसेच त्यांना देण्यात आलेला पदभार, बदली आदेश तसेच नियुक्तीच्या वेळी तसेच आजमितीस मिळणारे वेतन याबाबतची माहिती सोबतच्या आदेशामध्ये नमुद आहे. सदर माहितीच्या छायांकित प्रती सोबत पृष्ठ क्र.01 ते 16 अन्वये जोडुन देण्यात येत आहे.

श्री. दिपक खांबीत यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाई बाबतची माहिती, त्यांच्या चल अचल संपतीबाबतची माहिती क्रमांक:संकीर्ण 2012/989/प्र.क्र.479/सहा, दि.17 ऑक्टोबर, 2014 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 8 (त्र) मधील तरतुदीनुसार सदरची माहिती नाकारण्यात येत आहे.

सदरची माहिती उपलब्ध अभिलेखानुसार देण्यात येत असुन, सदर माहितीबाबत आपले समाधान न झाल्यास, सदर जन माहिती अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा. तदनंतर समाधान न झाल्यास प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री. विजयकुमार म्हसाळ, मा. उप-आयुक्त (मुख्यालय) तिसरा मजला, स्व. इंदिरा गांधी भवन, मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय, भाईंदर (प.) यांचेकडे 30 दिवसात अपील करता येईल.


(प्रकाश कुलकर्णी)
जनमाहिती अधिकारी तथा
आस्थापना अधीक्षक
मिरा भाईंदर महानगरपालिका